न्यायालय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V, ... एच०जे०एस०

(J.O. Code- UP 6546)

दीवानी निगरानी संख्या 17 सन 2026

(CNR No. UPFT-010001163 2026)

1. विश्वनाथ ।
2. उमानाथ । पुत्रगण स्व० गौरीशंकर
3. शिवकुमार ।

समस्त निवासीगण ग्राम जहानाबाद परगना कोडा जिला फतेहपुर।

.....निगरानीकर्तागण

प्रति

1. श्रीमती ममता देवी वयस्क पत्नी राज कुमार गुप्ता पुत्री स्व० उमाशंकर गुप्ता निवासिनी मोहल्ला लोहाई गली कस्बा व परगना बिन्दकी जिला फतेहपुर।
2. श्रीमती गीता देवी वयस्क पत्नी अनन्त कुमार गुप्ता उर्फ अन्नतो निवासिनी मोहल्ला बैलाही बाजार श्री कृष्ण धर्मशाला कस्बा व परगना बिन्दकी जिला फतेहपुर।
3. श्रीमती सीता देवी वयस्क पत्नी छोटे रज्जन लाल ओमर पुत्र पटूलाल ओमर निवासिनी मोहल्ला बनियौटा शहर बांदा।
4. श्रीमती रीता देवी वयस्क पत्नी संजय कुमार ओमर द्वारा ओमर बुन्देल खण्ड टी०वी० सेन्टर चौक स्टेशन बांदा ।
5. श्रीमती लक्ष्मी देवी वयस्क पत्नी दयाशंकर ओमर निवासिन गढ़ी, कोड़ा जहानाबाद परगना कोड़ा जिला फतेहपुर।
6. लवकुश कुमार गुप्ता उम्र करीब 89 साल पुत्र मालूम नही निवासी लवकुश कुमार अवधेश कुमार ओमर निवासी सिटी कोतवाली रोड मीर साहेब की गली

मिर्जापुर (उ०प्र०)

7. शिवशंकर गुप्ता उर्फ राजू ।

8. रवि गुप्ता उर्फ रिंकू । बालिग पुत्रगण स्व० रामशंकर गुप्ता निवासीगण 13/343 मोहल्ला रानी का हाता परमठ कानपुर।

9. श्रीमती उमा देवी उर्फ उमा गुप्ता पत्नी स्व० रामशंकर गुप्ता निवासिनी 13/343 मोहल्ला रानी का हाता परमठ कानपुर नगर।

10. श्रीमती रत्ना ओमर वयस्क पत्नी राजेश कुमार गुप्ता निवासिनी मकान नं० 70/41 मसाले वाली गली हालसी रोड कानपुर नगर।

11. श्रीमती अंकिता ओमर वयस्क पत्नी विकास ओमर निवासिनी पुराना डाकखाना वाली गली नेशनल चौराहा मौदहा पोस्ट मौदहा जिला हमीरपुर ।

12. हरीशंकर आयु करीब 55 साल पुत्र उमाशंकर निवासी 4/38 मोहल्ला रामगंज जहानाबाद परगना कोड़ा तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर।

13. सीताराम गुप्ता ।

14. हरगोविन्द गुप्ता । पुत्रगण स्व० मंगीलाल

15. अनिल कुमार गुप्ता

16. सुनील कुमार गुप्ता

निवासीगण 415 साइड नं0 2 किदवई नगर कानपुर नगर।

17. श्रीमती माधुरी गुप्ता पत्नी सतीश चन्द्र गुप्ता।

18. निकेत गुप्ता पुत्र स्व० सतीश चन्द्र गुप्ता।

निवासीगण 415 साइड नं0 2 किदवई नगर कानपुर नगर।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दीवानी निगरानी, निगरानीकर्तागण विश्वनाथ एवं दो अन्य की ओर से मूल वाद संख्या 775 सन 1992 गौरीशंकर बादहू विश्वनाथ आदि बनाम गंगादेई बादहू ममता देवी आदि में विद्वान सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, फतेहपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.01.2026 से विक्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा

विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 37ग2 को निरस्त कर दिया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/वादीगण गौरी शंकर बादहू विश्वनाथ एवं अन्य द्वारा न्यायालय मुंसिफ फतेहपुर के समक्ष मूल वाद संख्या 775 सन 1992 गौरीशंकर बादहू विश्वनाथ बनाम गंगादेई बादहू ममता देवी आदि विपक्षी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 10.05.1990 के निरस्तीकरण हेतु योजित किया गया है। वाद की कार्यवाही के दौरान निगरानीकर्ता/वादीगण ने अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र 378ग2 इस आशय के तथ्यों का प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थीगण की साक्ष्य समाप्त हो चुकी है एवं साक्ष्य प्रतिवादीगण चल रही है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी हरीशंकर से जिरह शुरू हो चुकी है। साक्षी हरीशंकर से जिरह के दौरान जब प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने वादीगण की ओर से दाखिल किये गये कागजात के बारे में जिरह करना चाहा तो ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण द्वारा दाखिल कागजात अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय संख्या–12 फतेहपुर के पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार सील कवर में रखे गये थे परन्तु उक्त कागजात न्यायालय की पत्रावली में शामिल नहीं हैं। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा माननीय जिला जज फतेहपुर को पत्र भेजने का आदेश भी पारित किया गया। उक्त कागजात के आभाव में हरीशंकर प्रतिवादी से शेष जिरह किया जाना सम्भव नहीं है। अतएव प्रार्थीगण द्वारा दाखिल कागजात जो न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय संख्या–12 फतेहपुर के आदेशानुसार सील कवर में रखे गये हैं उन्हे पत्रावली में सम्मिलित करा लिया जावे एवं उसके बाद प्रार्थीगण को हरीशंकर से जिरह करने का मौका दिया जावे।

3. इसके विरुद्ध अवर न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति 379ग दाखिल कर यह कथन किया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र विधि व तथ्यों के विपरीत है एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है। वादीगण को अभिलाशित कागजातो के दाखिल होने की जानकारी शुरू से रही है परन्तु उन्होंने उनको मुकदमा उपरोक्त के साक्ष्य के दौरान सील बन्द नही खोलवाया न ही उनको तलब कराने की कोशिश ही किया। आपत्तिकर्तागण विगत कई वर्ष दिनॉक 28.07.2022 को अपनी साक्ष्य शपथपत्र मय गवाहान मुकदमा उपरोक्त में दाखिल कर दिया था। उनसे वादीगण ने जिरह नहीं करायी है। मुकदमा उपरोक्त को नाना प्रकार से बढ़वाते चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अत्यन्त विलम्ब व विचार

विमर्श के पश्चात दिया है। न्यायालय उक्त कागजातों की तलाश काफी अर्से से करते चले आ रहे है। उनकी जानकारी वादीगण को रही है उन्होने उनकी जानकारी न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र के पूर्व नही करायी जिससे उनका उक्त प्रार्थना पत्र नेकनियती पर आधारित नही है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

4. निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत है। वादीगण द्वारा दाखिल मूल प्रलेख शीलबन्द लिफाफा में तत्कालीन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांक 03.09.2014 के अनुपालन में शील कवर में रखे हुये जिसको ढुढ़वाना न्यायालय का कार्य क्षेत्र है। प्रतिवादी के साक्षी हरीशंकर से आगे की जिरह करने हेतु उक्त मूल अभिलेख अति आवश्यक है। विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर ध्यान न देकर सरसरी तौर पर बिना किसी आधार के प्रार्थनापत्र 378ग निरस्त कर दिया। विद्वान अवर न्यायालय ने निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग सही ढंग से नही किया है। आक्षेपित आदेश अवैधानिक व अनियमित है, जिसे विद्वान अवर न्यायालय ने मूलवाद की पत्रावली के आदेश पत्र का अवलोकन किये बिना पारित किया है।

5. मैने निगरानीकर्ता व विपक्षी संख्या–12 के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा आलोच्यादेश एवं अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली सहित सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में विद्वान अवर न्यायालय के जिस प्रश्नगत आदेश दिनांक 03.01.2026 को चुनौती दी गयी है। उस आदेश के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता/ वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 378ग2 को निरस्त कर दिया है। 378ग2 प्रार्थनापत्र निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य में चल रही है, जिसमें साक्षी हरीशंकर से प्रतिपरीक्षा होनी है। इसके लिए कुछ दस्तावेज जो अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय संख्या–12, फतेहपुर के पीठासीन अधिकारी के पास सील कवर में रखे गये थे, उक्त दस्तावेज पत्रावली में शामिल नहीं है इसलिए जिरह से पूर्व सील कवर में रखे गये दस्तावेज अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय संख्या–12 फतेहपुर से मंगाकर पत्रावली में शामिल कर लिया जाये। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य का उल्लेख

करते हुए कि उपरोक्त दस्तावेज अभी मिल नहीं पा रहें हैं, जिनके सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश द्वारा जॉच के आदेश पारित हुए हैं और उपरोक्त आधार पर निगरानीकर्ता/ वादीगण का प्रार्थनापत्र 378ग निरस्त कर दिया। मूल पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि जो दस्तावेज सील बन्द लिफाफे में न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय संख्या–12 फतेहपुर से विलुप्त हुए थे, उन दस्तावेजों का पुर्ननिर्माण कर लिया गया है और उन्हें पत्रावली में शमिल किया जा चुका है। ऐसी दशा में इस निगरानी को सुने जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार सिविल निगरानी निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत सिविल निगरानी निस्तारित की जाती है। वादीगण, प्रतिवादी साक्षी से मूलवाद की पत्रावली में नियत तिथि 21.04.2026 को प्रतिपरीक्षा करे।

प्रस्तुत मूलवाद वर्ष 1992 से लम्बित है। अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को बिना स्थगन दिये मूल वाद का त्वरित निस्तारण करे।

सिविल निगरानी पत्रावली मय अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली नियमानुसार अविलम्ब वापस प्रेषित की जाये। पक्षकार नियत दिनांक 21.04.2026 को अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

दिनांक: 08.04.2026

(सुधीर कुमार–V)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 08.04.2026

(सुधीर कुमार–V)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR Digitally signed by SUDHIR KUMAR Date: 2026.04.08 15:46:25 +05'30'